रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072023-247005
CG-DL-E-04072023-247005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2781] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945
No. 2781] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

का.आ. 2904(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), संसाधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास (एचआरडी) स्कीम के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उप-घटकों अर्थात (i) ऊनी वस्तुओं के विनिर्माण या बुनाई के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ii) औद्योगिक श्रमिकों को ऑनसाइट प्रशिक्षण (iii) मशीन शीप शीयरिंग पर प्रशिक्षण और (iv) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में बुनाई और डिजाइनिंग में प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है जिसे केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड और इसके कार्यान्वयन अभिकरणों (जिसे इसमें इसके पश्चात अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और, स्कीम के अधीन, वृत्तिका (जहां लागू हो) (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) के साथ प्रशिक्षण स्कीम और इसके अधीन जारी विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा संसाधकों को दिया जाता है;

और स्कीम के अधीन पूर्वोक्त फायदा प्रदान करने के लिए भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनिम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :

1. (क) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से अपेक्षित होगा कि वह आधार संख्याक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे;

(ख) स्कीम के अधीन फायदों का उपयोग करने के किसी इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, स्कीम के लिए रजिस्टर करने के पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकित सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित है और यदि उनके संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

परंतु व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, स्कीम के अधीन फायदा ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दिया जाएगा अर्थात:-

(क) यदि उसने नामांकन कर लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थात:-

i. बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें फोटो लगा हो
ii. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
iii. पासपोर्ट; या
iv. मतदाता पहचान कार्ड; या
v. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
vi. किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाणपत्र; या
vii. कोई अन्य दस्तावेज जो मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परंत, यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. सुविधाजनक रूप से स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को फायदा उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी दशाओं में, जहां आधार अधिप्रमाणन फायदाग्राहियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात:-

(क) खराब अंगुली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, और मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, निर्बाध रीति में फायदों के परिदान के लिए अंगुली छाप अधिप्रमाणन के साथ आईरिस स्कैन्र्स या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए उपबंध कर सकेगा।

(ख) अंगुली छाप या आईरिस या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन सफल न होने की दशा में, जहां साक्ष्य और ग्राह्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय विधि मान्यता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रस्थापित किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी दशाओं में जहां बायोमैट्रिक्स या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन फायदा भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोर्ड रीडर का आवश्यक प्रबंध मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा;

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपने देय फायदों से वंचित नहीं है, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद संचालन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फ़ा. सं. 2/6/2023-फाइबर-II]

प्रजक्ता एल.वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

S.O. 2904(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India, is administering the training programme sub-components under Human Resource Development (HRD) Scheme, namely, (i) Short Term Training Programme for manufacturing or weaving of woolen items, (ii) Onsite training to industrial workers, (iii) Training on Machine sheep shearing and (iv) Training in Weaving and Designing at Training Centre, Kullu, Himachal Pradesh by Central Wool Development Board (CWDB) (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective to provide training, for resource persons, which is being implemented through the Central Wool Development Board and its implementing agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the training along with stipend (where applicable) (hereinafter referred to as the benefit) is given to the resource persons (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued there under;

And whereas, to provide the aforesaid benefit under the Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: –

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: –

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely: –

i. Bank or post office passbook with photo; or

ii. Permanent Account Number (PAN) Card; or

iii. Passport; or

iv. Voter identity card; or

v. Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

vi. Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

vii. any other document as may be specified by the Ministry:

Provided further that the above documents, may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:–

a. in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Ministry through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

b. in case the biometric authentication through fingerprints or iris or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

c. in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available at https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. 2/6/2023-Fibre-II]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.04 19:23:26 +05'30'